



Rajasthan RERA

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उद्योग भवन,

तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

फोन नं. - 0141-2851905 वेबसाइट - <http://rera.rajasthan.gov.in>

क्रमांक : एफ. 1(146)RJ/RERA/COVID-19/2021-22/01 दिनांक : 03 जनवरी, 2022


आदेश

कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, राजस्थान रेरा कार्यालय में आगन्तुकों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि रेरा ऑथोरिटी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण जो दिनांक 04-01-2022 से 17-01-2022 तक सुनवाई हेतु नियत हैं, उन सभी प्रकरणों की सुनवाई केवल ऑनलाइन अर्थात् **Video Conferencing** के माध्यम से की जावेगी। व्यक्तिगत उपस्थिति अनुमत नहीं होगी।

इस हेतु पक्षकार (parties) अपनी request e-mail hna.rera@rajasthan.gov.in पर अग्रिम रूप से (well in advance) भेजें। इसमें यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो श्री उदय झा, जिनका मोबाइल नं. 9413345832 है, से सम्पर्क करें।

एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की पूर्ववत् ऑफलाइन एवं यदि पक्षकार चाहता है तो **Video Conferencing** के माध्यम से सुनवाई की जाती रहेगी।

यह आदेश माननीय चेयरमैन महोदय से अनुमोदित है।


(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, चेयरमैन, राजस्थान रेरा, जयपुर
2. निजी सचिव, सदस्य श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, राजस्थान रेरा, जयपुर
3. निजी सचिव, सदस्य श्री सालविन्दर सिंह सोहाता, राजस्थान रेरा, जयपुर
4. समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, राजस्थान रेरा, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली


रजिस्ट्रार